राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष.: 0141–271–3022

क्रमांक :– प.2(9) अ.स.निदे. / कन्या छात्रा.संचालन / 2010–11 / पार्ट 2016–17 / 10566 जयपुर, दिनांक 20-7-2017

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2 (9) अ.स.निदे / कन्या छात्रावास संचालन / 2010–11 / 3251 दिनांक 14.02.2011 के द्वारा **''राजकीय महाविद्यालय महिला छात्रावास सचालन नियम–2010''** में वर्णित नियम–10 ''भोजन–शाला संचालन'' में निम्नवत अभिवर्धन किया जाता है :–

1. **नियम–10 ''भोजन–शाला संचालन''** के उप बिन्दु – I, II, III एवं IV के साथ अतिरिक्त उप बिन्दु–V सम्मिलित किया जाता है।

   उप बिन्दु–V – निदेशालय द्वारा अधीनस्थ जिला कार्यालयों को आवंटित बजट के आधार पर जिला कार्यालयों द्वारा अनुदानित (NGOs) छात्रावासों को **तीन माह का एक मुश्त बजट राशि का अग्रिम आवंटन छात्रावास प्रारंभ होने एवं छात्रावासों में प्रवेशित छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर 15 जुलाई तक जिला कार्यालयों द्वारा किया जावेगा।**

   द्वितीय त्रैमासिक किश्त का भुगतान 15 अक्टूबर एवं **तृतीय त्रैमासिक किश्त** की राशि का भुगतान 15 जनवरी तक किया जावें। स्वैच्छिक संगठनों को त्रैमासिक राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व स्वैच्छिक संगठनों को पूर्व में दी गई किश्त की राशि में से उपयोग की गई राशि को घटाते हुए शेष राशि का **समायोजन** चालू किश्त की राशि में किया जावेगा।

   अनुदानित छात्रावास संचालकों (NGOs) को अग्रिम बजट आवंटन के विरूद्व उनके द्वारा व्यय की गई राशि का **उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त** संबंधित NGOs को दी जावेगी

उक्त के अतिरिक्त विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2 (9) अ.स.निदे / कन्या छात्रावास संचालन / 2010–11 / 3251 दिनांक 14.02.2011 एवं क्रमांक 3676 दिनांक 30.07.2011 तथा क्रमांक प. 101 / छात्रावास संचालन / डी.डी.–I / अ.मा.वि. / 2012 पार्ट–II / 4665–66 दिनांक 06.07.2015 में वर्णित अन्य सभी प्रावधान यथावत प्रभावित रहेंगे।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांक :– प.2(9) अ.स.निदे. / कन्या छात्रा.संचालन / 2010–11 / पार्ट 2016–17 / 10567-75 जयपुर, दिनांक 20-7-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात।
8. लेखाधिकारी / लेखाशाखा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सहायक निदेशक (चतुर्थ), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक